



13 वुड स्ट्रीट  
कोलकाता-700016 (पश्चिम बंगाल)  
13 Wood Street,  
Kolkata-700016 (West Bengal)  
फैक्स/Fax: 033 - 22879038  
दूरभाष/Telephone: 033-22872156  
ई-मेल/e-Mail : [wbs.gdc soi@gov.in](mailto:wbs.gdc soi@gov.in)



भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA  
पश्चिम बंगाल एवम् सिक्किम  
भू-स्थानिक निदेशालय  
WEST BENGAL & SIKKIM  
GEO-SPATIAL DIRECTORATE  
कोलकाता Kolkata

इस पत्र का उत्तर पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम भू-स्थानिक निदेशालय के आधिकारिक ई-मेल पर ही प्रेषित करने एवं उत्तर देते समय इस पत्र की संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करें।  
Reply to this letter should be sent only on the official e-mail of WB & Sikkim GD and while replying, mention the number and date of this letter.

पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम भू-स्थानिक निदेशालय, कोलकाता के  
नेमी आदेश सं. 04 / 37-G-11 दिनांक. 08.05.2025  
WEST BENGAL & SIKKIM GEO-SPATIAL DIRECTORATE KOLKATA  
ROUTINE ORDER NO. 04 /37-G-11 DATED 08.05.2025

### 1. मुख्य मानचित्रकार के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ( PROMOTION TO THE POST OF CHIEF DRAFTSMAN ON REGULAR BASIS)

भारत के महासर्वेक्षक, के दिनांक 28.04.2025 के पत्र सं.सी पी-1119/1800(1)(Chief D/Man)(9217) के अनुसार निम्नलिखित मानचित्रकार डिविजन – I (गुप 'बी' अराजपत्रित) को मुख्य मानचित्रकार(गुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में उनके नाम के आगे वर्णित तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है।/With the approval of the Surveyor General of India vide his letter No. C P-1119/1800(1)(Chief D/Man)(9217) dated 28.04.2025, the undermentioned Draftsman Division-I (Gr.'B' Non-Gazetted) is hereby promoted to the post of Chief Draftsman (Gr.'B' Gazetted) on regular basis in the level-7 of Pay Matrix with effect from the date shown against the name below :-

| क्रम सं.<br>Sl.No. | नाम<br>Name                                        | वर्तमान पद<br>Present Post             | जिस पद पर पदोन्नति की जाती है/Post to which promoted | वेतन मैट्रिक्स में लेवल/<br>Level in Pay Matrix | लागु होने की तिथि /Date of effect |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.                 | श्रीमती अंजलि चक्रवर्ती<br>Smt. Anjali Chakraborty | मानचित्रकार डिविजन -I/ Draftsman Div.I | मुख्य मानचित्रकार / Chief Draftsman                  | लेवल 7<br>Level 7                               | 28.04.2025                        |

(प्राधिकार: सं.सी- सी पी-1119/1800(1)(Chief D/Man)(9217) दिनांक 28.04.2025)  
(Authority:-S.G.'s letter No. C P-1119/1800(1)(Chief D/Man)(9217) dated 28.04.2025)

ii)उपरोक्त कार्मिक को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नितान के लिए एफ.आर. 22(I) (a) (1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा तथा यदि उनको एम्.ए.सी.पी. योजना के

अंतर्गत एफ.आर. 22(I) (a) (1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाये |/The above personnel will also have to exercise their option under FR 22(I) (a) (1) for fixation of pay in the new pay scale on promotion and if they have already received FR 22(I) (a) (1) benefit under MACP Scheme, then their pay fixation should be done as per the prescribed rules.

iii)उपरोक्त कार्मिक मुख्य मानचित्रकार के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष तक परीबीक्षा पर रहेंगे |/The above personnel will be on probation for two years from the date of regular promotion to the post of Chief Draftsman.

iv)प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही /सतर्कता जांच/दण्ड लम्बित नहीं है |/Certified that no disciplinary proceeding /vigilance case punishment is pending against him.

v)अतिरिक्त व्यय का वहन वर्ष 2025-2026 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा एवं उचित शीर्ष के नाम किया जाएगा |/ The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the Financial Year 2025-2026 and debited to the appropriate Head of Account.

## **2.प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर पुष्टिकरण (CONFIRMATION TO THE POST OF UPPER DIVISION CLERK)**

पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी., भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर पुष्टिकरण हेतु योग्य पाया गया |/The undermentioned person of West Bengal & Sikkim GD, Survey of India, Kolkata is hereby considered as Fit for confirmation to the post of Upper Division Clerk with effect from the date shown against her name :-

| क्रम सं.<br>Sl. No. | नाम<br>Name                            | नियुक्ति की तारीख<br>Date of Appointment | पुष्टिकरण की तारीख<br>Date of confirmation |
|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                   | कुमारी अमृता मंडल<br>Kum Amrita Mondal | 14.09.2021                               | 14.09.2023                                 |

(प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक के विभागीय आदेश सं.सी पी -

878/1902-जनरल(Confirmation) (LDC/UDC) दिनांक 02.04.2025). /(Authority: S.G.'s Departmental Order No.C P-878/1902-General(Confirmation)(LDC/UDC) dated 02.04.2025).

## **3. एम् टी एस के पद पर पुष्टिकरण (CONFIRMATION TO THE POST OF MTS)**

पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी., भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से एम् टी एस के पद पर पुष्टिकरण हेतु योग्य पाया गया |/The undermentioned person of West Bengal & Sikkim GD, Survey of India, Kolkata is hereby considered as Fit for confirmation to the post of MTS with effect from the date shown against their name :-

| क्रम सं.<br>Sl. No. | नाम<br>Name                                               | नियुक्ति की तारीख<br>Date of Appointment | पुष्टिकरण की तारीख<br>Date of confirmation |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                   | श्रीमती गौरबिका मंडल<br>Smt. Gaurabika Mandal             | 09.09.2021                               | 09.09.2023                                 |
| 2                   | कुमारी देबंजना चक्रवर्ती<br>Kum. Debanjana Chakraborty    | 26.10.2021                               | 26.10.2023                                 |
| 3                   | श्री रणजीत राम<br>Shri Ranjeet Ram                        | 26.05.2018                               | 26.05.2020                                 |
| 4                   | श्री सुरेश राम<br>Shri Suresh Ram                         | 26.05.2018                               | 26.05.2020                                 |
| 5                   | श्रीमती सरिता कुमारी राम<br>Smt. Sarita Kumari Ram        | 26.05.2018                               | 26.05.2020                                 |
| 6                   | श्री अलोक राज<br>Shri Alok Raj                            | 10.12.2021                               | 10.12.2023                                 |
| 7                   | श्री अभिषेक कुमार<br>Shri Abhishek Kumar                  | 21.02.2022                               | 21.02.2024                                 |
| 8                   | श्रीमती यशोदा कुमारी<br>Smt. Jasoda Kumari                | 16.05.2019                               | 16.05.2021                                 |
| 9                   | श्री अनिल राम<br>Shri Anil Ram                            | 08.10.2021                               | 08.10.2023                                 |
| 10                  | श्री उमेश, पुत्र दिनेश गोप<br>Shri Umesh, S/o Dinesh Gope | 26.05.2018                               | 26.05.2020                                 |

(प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक के विभागीय आदेश सं.सी पी -

984/1902-जनरल(Confirmation) (MTS) दिनांक 16.04.2025). /(Authority: S.G.'s Departmental Order No.C P-984/1902-General(Confirmation)(MTS) dated 16.04.2025).

#### 4. नगदी को संभलना भत्ता / CASH HANDLING ALLOWANCE

भारत सरकार, विज्ञान और प्राधोगिकी विभाग के पत्र सं. 14-3-78-एस.एम.पी.-1 दिनांक. 28.03.1978 और भारत सरकार, कर्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का कार्यालय ज्ञापन संख्या-4/6/2017-स्थापना (वेतन II) दिनांक 18.01.2019 के अधीन पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी०डी०, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई विवरणानुसार खंजाची का कार्य करने के लिए नकदी लेनदेन भत्ता प्रदान की जाती है |/In terms of Department of Science & Technology's letter No. 14-3-78-SMP-1 dated 28.03.1978 and Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel & Training) O.M.No. 4/6/2017-Esst. (Pay- II) dated 18.01.2019, the under mentioned person of West Bengal & Sikkim Geo-Spatial Directorate, Survey of India, Kolkata who is

entrusted with the duties of Cashier is granted CASH HANDLING ALLOWANCE from the date mentioned against his name as under :-

| क्रम सं. Sl. No. | नाम एवं पदनाम<br>Name & Designation                                   | अवधि<br>Period              | नकदी लेनदेन भत्ता की राशि<br>Amount of Cash Handling Allowance | टिपणी<br>Remarks |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                | श्री प्रदीप मंडल,<br>प्रवर श्रेणी लिपिक<br>Shri Pradip Mondol,<br>UDC | 11.04.2025 to<br>10.04.2026 | Rs. 1000/- every<br>month                                      |                  |

#### 5. इस कार्यालय से स्थानांतरण / TRANSFER OUT

| क्रम सं. Sl. No. | नाम<br>NAME                                                 | पदनाम<br>Designation                            | किस कार्यालय में<br>स्थानान्तरित हुआ<br>Office where<br>transferred | स्थानांतरण की तिथि<br>Date of transfer                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | श्री स्पेस गुप्ता<br>Shri Space Gupta                       | अधीक्षण सर्वेक्षक<br>Superintending<br>Surveyor | पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता<br>Eastern Zone<br>Office, Kolkata          | 06.05.2025 (F/N)<br>(Authrhority : SG's<br>letter No. स्था.1-<br>2471/701-<br>Placement<br>Committee दि.<br>01.05.2025)    |
| 2.               | श्री बिप्लब कुमार<br>बिस्वास<br>Shri Biplab Kumar<br>Biswas | कार्यालय अधीक्षक<br>Office<br>Superintendent    | TMMz Wing,<br>Silchar                                               | 07.04.2025 (A/N)<br>(Authrhority : SG's<br>letter No. स्था.2-<br>92/1354-कार्यालय<br>अधीक्षक(संग्रह-59) दि.<br>30.03.2025) |
| 3.               | श्री आशुतोष मजुमदार<br>Shri Ashutosh<br>Majumdar            | कार्यालय अधीक्षक<br>Office<br>Superintendent    | Meghalaya &<br>Arunachal<br>Pradesh GD,<br>Shillong                 | 07.04.2025 (A/N)<br>(Authrhority : SG's<br>letter No. स्था.2-<br>93/1354-कार्यालय<br>अधीक्षक(संग्रह-59) दि.<br>30.03.2025) |
| 4.               | श्री तापस मित्र<br>Shri Tapas Mitra                         | कार्यालय अधीक्षक<br>Office<br>Superintendent    | TMMz Wing,<br>Silchar                                               | 07.04.2025 (A/N)<br>(Authrhority : SG's<br>letter No. स्था.2-<br>94/1354-कार्यालय<br>अधीक्षक(संग्रह-59) दि.<br>30.03.2025) |

**6. पदोन्नति पर इस कार्यालय में स्थानांतरण / TRANSFER IN ON PROMOTION**

भारत के महासर्वेक्षक, के दिनांक 21.03.2025 के पत्र सं. स्था.1- 1336 /579-रूल्स/एल. डी. सी.ई.) के अनुसार Limited Departmental Competitive Examination-2024 and 2025 Selection to Officer Surveyor's Grade) के तहत निम्नलिखित सर्वेक्षक (ग्रुप "बी" अराजपत्रित ) को अधिकारी सर्वेक्षक (ग्रुप 'बी' राजपत्रित ) के पद पर नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में उनके नाम के आगे वर्णित तिथि से पदोन्नति प्रदान की गयी है |/With the approval of the Surveyor General of India vide his letter No.E.1-1336/579-Rules/LDCE) dated 21.03.2025, the undermentioned Surveyor (Gr "B" Non-Gazetted) is hereby promoted to the post of Officer Surveyor (Gr.'B' Gazetted) on regular basis in the level-8 of Pay Matrix through Limited Departmental Competitive Examination-2024 and 2025(Selection to Officer Surveyor's Grade) with effect from the date shown against the name below :-

| क्रम सं. Sl. No. | नाम एवं पदनाम<br>NAME & DESIGNATION            | वर्तमान पद<br>Present Post               | किस कार्यालय से<br>स्थानान्तरित हुआ<br>Office from which transferred | स्थानांतरण की तिथि<br>Date of transfer |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.               | श्री राज किशोर पधान<br>Shri Raj Kishore Padhan | अधिकारी<br>सर्वेक्षक<br>Officer Surveyor | Odisha & Chattisgarh GD, Bhuwaneshwar                                | 08.04.2025<br>(F/N)<br>(पूर्वान्ह)     |

(प्राधिकार: सं. स्था.1- 1336 /579-रूल्स/एल. डी. सी.ई. दिनांक 21.03.2025)

(Authority:-S.G.'s letter No. E.1-1336/579-Rules/LDCE) dated 21.03.2025)

i)उपर्युक्त अधिकारी को इस कार्यालय द्वारा "Fundamentals of Survey Engineering" पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें उनके मूल पद पर वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा, अधिकारी सर्वेक्षक अधिकारी के रूप में अपनी नियमित पदोन्नति की तारीख से दो साल की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।/The above-mentioned officer is required to undergo training in "Fundamentals of Survey Engineering" course by this office, otherwise the y will be reverted back to their original post. Moreover, the officers will be on probation for a period of two years from the date of their regular promotion as Officer Surveyor.

ii)संबंधित सरकारी कर्मचारी को FR 22(I) (क) (1) के अनुसार वेतन नियतन हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उनका वेतन नियतन किया जायेगा |/The concerned Govt. Servant is required to exercise an option under new level of Pay Matrix for fixation of pay under FR 22(I) (a) (1).

iii)प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही /सतर्कता जांच/दण्ड लम्बित नहीं है |/Certified that no disciplinary proceeding /vigilance case punishment is pending against him.

iv) अतिरिक्त व्यय का वहन वर्ष 2025-2026 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा एवं उचित शीर्ष के नाम किया जाएगा |/ The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the Financial Year 2025-2026 and debited to the appropriate Head of Account.

**7. उप अधीक्षण सर्वेक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ( PROMOTION TO THE POST OF DY. SUPERINTENDING SURVEYOR ON REGULAR BASIS)**

भारत के महासर्वेक्षक, के दिनांक 30.04.2025 के पत्र सं. सी.पी.-1168/853-डी.एस.एस. (8393) के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी सर्वेक्षकों (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) को उप अधीक्षण सर्वेक्षक (ग्रुप 'ए' राजपत्रित ) के पद पर नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में उनके नाम के आगे वर्णित तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है |/With the approval of the Surveyor General of India vide his letter No.C P-1168/853-DSS( 8393) dated 30.04.2025, the undermentioned Officer Surveyor(Group "B" Gazetted) is hereby promoted to the post of Dy. Superintending Surveyor (Group "A" Gazetted) on regular basis in the level-10 of Pay Matrix with effect from the date shown against the name below :-

| क्रम सं.<br>Sl.No. | नाम<br>Name                                | वर्तमान पद<br>Present Post         | जिस पद पर पदोन्नति की जाती है<br>Post to which promoted | वेतन मैट्रिक्स में लेवल<br>Level in Pay Matrix | लागु होने की तिथि<br>Date of effect |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.                 | श्री अरुण कुमार दास<br>Shri Arun Kumar Das | अधिकारी सर्वेक्षक Officer Surveyor | उप अधीक्षण सर्वेक्षक Dy Superintending Surveyor         | लेवल 10<br>Level 10                            | 30.04.2025                          |
| 2.                 | श्री रूप कुमार दास<br>Shri Rup Kumar Das   | अधिकारी सर्वेक्षक Officer Surveyor | उप अधीक्षण सर्वेक्षक Dy Superintending Surveyor         | लेवल 10<br>Level 10                            | 30.04.2025                          |

(प्राधिकार: सं. सी.पी.-1168/853-डी.एस.एस.(8393) दिनांक 30.04.2025)

(Authority:-S.G.'s letter No. C P-1168/853-D.S.S.(8393) dated 30.04.2025)

ii) उपरोक्त कार्मिक को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नितान के लिए एफ.आर. 22(I) (a) (1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा तथा यदि उनको एम्.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत एफ.आर. 22(I) (a) (1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाये |/ The above personnel will also have to exercise their option under FR 22(I) (a) (1) for fixation of pay in the new pay scale on promotion and if they have already received FR 22(I) (a) (1) benefit under MACP Scheme, then their pay fixation should be done as per the prescribed rules.

iii) प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही / सतर्कता जांच/दण्ड लम्बित नहीं है | /Certified that no disciplinary proceeding /vigilance case punishment is pending against him.

iv) अतिरिक्त व्यय का वहन वर्ष 2025-2026 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा एवं उचित शीर्ष के नाम किया जाएगा | / The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the Financial Year 2025-2026 and debited to the appropriate Head of Account.

#### 8. सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति / Retirement on Superannuation from Govt. Service

इस कार्यालय के अधोलिखित अधिकारी/कर्मचारी, उनके नाम के समक्ष दर्शाई गयी तिथि से सेवानिवृत्त हुए | /The undermentioned person/Officers of this GD is retired on Superannuation with effect from the date shown against his name as mentioned below:-

| क्रम सं.<br>Sl.No. | नाम और पदनाम<br>Name & Designation                                     | सेवानिवृत्ति की तारीख<br>Date of Retirement |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.                 | श्री राधा रमण बक्षी, सर्वेक्षक<br>Shri Radha Raman Baskshi, Surveyor   | 31-03.2025 (अपरान्ह) (A/N)                  |
| 2.                 | श्री अरुण कुमार दास, उप अधीक्षक सर्वेक्षक<br>Shri Arun Kumar Das, DSS  | 30.04.2025 (अपरान्ह) (A/N)                  |
| 3                  | श्री देबब्रत घोष, अधिकारी सर्वेक्षक<br>Shri Debabrata Ghosh            | 30.04.2025 (अपरान्ह) (A/N)                  |
| 4                  | श्री तुषार भट्टाचार्य, वरिष्ठ रेप्रोग्रफ़र<br>Shri Tushar Bhattacharya | 30.04.2025 (अपरान्ह) (A/N)                  |

#### 9. दण्ड / Punishment

इस कार्यालय के अधोलिखित कर्मचारी को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गयी तिथि से CCS (CCA) Rules 1965 के तहत नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, समय-समय पर यथासंशोधित सीसीएस (पेंशन) नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य सभी पेंशनभोगी लाभ के साथ सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दीर्घ दण्ड अधिरोपित किया गया | /The Major Penalty of Compulsory Retirement with all pensionary benefits as admissible under CCS (Pension) Rules as amended by time to time, imposed on the undermentioned person of this office with effect from the date shown against his name as mentioned below by the Appointing & Disciplinary Authority under CCS (CCA) Rules, 1965 :-

| क्रम सं<br>Sl.No.                                                                                                                                                                                                                           | नाम और पदनाम<br>Name & Designation                   | अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख<br>Date of Compulsory Retirement |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                          | श्री राजेन्द्र राम, एमटीएस<br>Shri Rajendra Ram, MTS | 07.05.2025                                                      |
| प्राधिकार : पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जीडी, कोलकाता का दिनांक 07.05.2025 के पत्रांक C/A-86/5-A(Rajendra Ram) के अंतर्गत जारी आदेश।/Authority: Order issued vide WB & Sikkim GD, Kolkata letter No. C/A-86/5-A(Rajendra Ram) dated 07.05.2025 |                                                      |                                                                 |

(उदय शंकर प्रसाद)  
निदेशक  
पश्चिम बंगाल एब सिक्किम भू-स्थानिक निदेशालय,  
कोलकाता

वितरण :

1. भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी लेखा।
5. फाईल- सम्बंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत फाईल/सेवा पंजिका।
6. नोटिस बोर्ड।